न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 75/2021

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

अपीलान्ट

1. अर्जुनसिंह पुत्र स्व.जेठमलसिंह
2. खीमसिंह पुत्र स्व.जेठमलसिंह
3. भगवानसिंह पुत्र स्व.जेठमलसिंह
4. चौथमलसिंह पुत्र स्व.जेठमलसिंह
5. जसवंतसिंह पुत्र स्व.तेजसिंह
6. छोटूसिंह पुत्र स्व.तेजसिंह
7. श्रीमती निजरकंवर पत्नी तेजसिंह जातियान–राजपूत निवासी– खुहडा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. गोरधनसिंह पुत्र स्व.जेठमलसिंह जातियान–राजपूत निवासी– खुहडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2. मेहताबसिंह पुत्र हाथीसिंह जातियान–राजपूत निवासी– खुहडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3. चुतरकंवर पुत्री हाथीसिंह जातियान–राजपूत निवासी– धोलिया, हाल–भवानीपुरा, पोकरण जिला जैसलमेर।
4. दरियाकंवर पुत्र हाथीसिंह पत्नी किशनसिंह जातियान–राजपूत निवासी– तेजमालता, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर।
5. शैतानसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत निवासी–वरणा तहसील जैसलमेर।
6. पेम्पसिंह पुत्र नखतसिंह
7. गणपतसिह पुत्र नखतसिंह
8. गिरधरसिंह पुत्र नखतसिंह
9. प्रतापसिंह पुत्र नखतसिंह
10. फुलकंवर पुत्री नखतसिंह जातियान–राजपूत निवासी– खुहडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.02.1963 जो उपखंड अधिकारी, पोकरण के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 106/1962 अनवान सरकार बनाम हाथीसिंह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री करणसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 11 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली/सूचना के अनुपस्थित है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 75/2021 अनवान अर्जुनसिंह बनाम गोरधरसिंह वगैराह

निर्णय

दिनांक 07 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष श्री हाथीसिंह पुत्र सांगसिंह एवं गोरधनसिंह पुत्र जेठमालसिंह निवासी– खुहडा के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें मौजा खुहडा के ख0सं0 14 रकबा 2270 बीघा 19 बिस्वा आया हुआ है जिसमें उनकी रकबा 500.00 बीघा भूमि भी सामलाती में आई हुई है। उक्त खसरान की रकबा भूमि गलती से इसी खसरे की मूल रकबा भूमि में नप गया है। जबकि उक्त रकबा 500 बीघा भूमि पर वे शुरू से ही काबिज चले है एवं सालोसाल काश्त करते आ रहे है व प्राकृतिक पैदावार का उपयोग लेते आये है तथा उनके पटटाशुद खेत का ही भू भाग है, उक्त खेत अपने नाम दर्ज न होने की जानकारी होने पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया गया है अतः मौजा खुहडा के खसरा संख्या 14 की रकबा 500 बीघा भूमि को सायलान के नाम दर्ज करावे व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड व गिरदावरी में दुरूस्त करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के नाम 500 बीघा भूमि को रेकर्ड में दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.1963 को पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील दिनांक 30.06.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि उपरोक्त ग्राम खुहडा की ख0सं0 14 की रकबा 500 बीघा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह की पैतृक सम्पति की सहखातेदारी की भूमि थी। इस कारण पक्षकारान का बराबर का हक– हिस्सा बनता है परन्तु रेस्पोडेन्ट गोरधनसिंह को अकेले का खातेदार घोषित कर दिया और अपीलान्ट को हक–हिस्से से वंचित कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और न सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसे में व्यथित पक्षकार होने से उन्हें अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमारकरने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया कि अधीनन्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण हाल ही मौके पर बरसात पर खेत जोतने के लिये गये तब रेस्पोडेन्ट्स गोरधनसिंह ने कहा कि उक्त खसरान

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की भूमि ख0सं0 14 पर मेरे अकेले का 1/2 हिस्सा है, आपका उक्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं है जो दिनांक 11.06.2021 को बताई गई तथा यह भी बताया कि उक्त जमीन कम्पनी को बेचने की भी धमकी दी गई तब उनको अपीलाधीन आदेश होने का प्रथम ज्ञान हुआ। तब अपीलाधीन अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील प्रथम ज्ञान से अन्दर मियाद न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। उक्त आदेश धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार देने का क्षेत्राधिकार नहीं है जो धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया जा सकता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार का होने से उस पर मियार का बिन्दू लागू नहीं होता है उसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज नहीं करके गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है अतः देरी को क्षमा किया जावे एवं उक्त अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की यथा आरआरडी 2016 पेज 394, आरआरडी 1996 पेज 63, आरआरडी 2009 पेज 560, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरडी 1992 पेज 17, एआईआर एससी 1987 पेज 1987 इत्यादि।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस के उक्त धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश हेतु अनुमति प्रदान करने एवं मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लिखित में जवाब पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्य गलत, मिथ्या व बनावटी व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है क्योंकि खसरा संख्या 14 की भूमि पैतृक सम्पति कतई नहीं है बल्कि हाथीसिंह व गोरधनसिंह की कब्जाशुदा व पटटाशुदा है जो सरकारी खाते में गलत पैमाइश हो जाने से गलती से सिवायचक दर्ज हो जाने पर पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। अपीलान्टस का कोई कब्जा काश्त इस भूमि पर नहीं रहा है और न ही अपीलान्टस कभी रेस्पोडेन्टस से मौके पर आकर मिले है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस ने यह अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की है जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.1963 के विरूद्ध 58 वर्ष पश्चात पेश की है जो किसी भी सूरत में क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। उक्त भूमि पक्षकारान की पटटाशुदा भूमि होने से खातेदारी बाबत घोषणा का दावा करना आवश्यक ही नहीं था। अपीलान्टस को उपरोक्त अपील करने का कोई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकार नहीं है। अपीलान्टस के द्वारा इसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा का दावा पेश कर रखा है ऐसे में दो प्रकरण एक साथ नहीं चल सकते है, वांछित अनुतोष दावे से प्राप्त किये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.1963 की पालना में वर्ष 1971 में नामा0 संख्या 20 दर्ज किया गया जिसके पश्चात अनेकों बार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होते आ रहे है और रेस्पोडेन्टस के मध्य बंटवाडा भी पूर्व में कर लिया गया जिसका भी नामा0 स्वीकृत किया गया। ऐसे में अपीलान्टस को वर्ष 1963 से वर्ष 2021 की अवधि में राजस्व रेकर्ड परिवर्तन एवं उसमें दर्ज खातेदारान की जानकारी न हो, ऐसा माना ही नहीं जा सकता है और न ही अपीलान्टस ने ऐसे कोई ठोस कारण मियाद प्रार्थना पत्र में दर्शाये है जिससे उनके कथनों का बल मिलता हो। अपीलान्टस कतई स्वच्छ हाथों से यह अपील लेकर नहीं आये है ऐसे में उक्त विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण/अपीलान्टस का उक्त धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश हेतु अनुमति प्रदान करने एवं मियाद प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील को भी मियाद बाहर मान खारिज की जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई उक्त धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश हेतु अनुमति प्रदान करने एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.1963 के विरूद्ध वर्ष 2021 में दिनांक 30.06.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई। अपीलान्ट के द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अथवा कारण उल्लेखित नहीं किये गये है यह प्रमाणित/साबित होता होता हो कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनको पूर्व में कभी नहीं हुई और किसी माध्यम से नहीं हुई और न ही यह साबित कर पाये है कि उल्लेखित भूमि रेस्पोडेन्ट की पटटाशुदा भूमि न होकर पैतृक सम्पति की भूमि रही है और न ही सहखातेदारों के द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में दर्ज होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पेश कर पाये है जबकि उल्लेखित भूमि का बंटवाडा हो जाना एवं बंटवाडे अनुसार नामा0 दर्ज किया जाना भी रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने उल्लेखित किया है। अपीलान्ट की ओर से इतने लम्बे समय तक अपने पक्ष में राजस्व रेकर्ड इन्द्राज करवाने हेतु अथवा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम स्तर पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसका भी कोई उल्लेख अपील/ प्रार्थनापत्रों में

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

संभागीय आयुक्त जोधपुर

नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1963 से लेकर वर्ष 2021 तक उक्त भूमि का भौगोलिक, आर्थिक एवं भौतिक एवं राजस्व रेकर्ड में भी परिवर्तन होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। मात्र अपील में एवं मियाद प्रार्थनापत्र में यह अंकित कर दिया जाना कि उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है, से उनका पक्ष एवं आधार स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील को धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है साथ ही अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के आधार पर धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कियाजाता है तथा अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर